कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड टोंक

क्रमांकः-वि.बो./2015-16/1311 दिनांक 08/09/2015

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय :- लिंक रोड दूनी आवां रोड से चांदली माताजी 5.00 कि.मी. के भूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसागिक पत्र के क्रम में बिन्दुवार टिप्पणी निम्नानुसार है :-

1. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या A-2 (Xiii) & B-I (i) में पूर्व में स्वीकृत प्रकरणों के क्रम में वर्तमान में NO इसलिए अंकित किया गया है। क्योकि इस विभाग द्वारा पूर्व में किसी प्रकार का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु आवेदित नही किया गया है।
2. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 2 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि में Nil इसलिए अंकित किया गया है क्योकि प्रस्तावित सड़क के अलाइमेंट में कही भी गैर वन भूमि नही आ रही है।
3. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 2.1में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मंडल ajmer Territorial त्रृटिवंश अंकित हो गया था। अब वन मंडल टोंक अंकित कर दिया गया है।
4. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 2.3 में प्रयोक्ता अभिकरण को सड़क निर्माण हेतु Village wise break up में Chandeli की 0.64 Hac. एवं Kanwarpura की 1.46 Hac.भूमि की आवश्यकता होगी। जिसका अंकन कर दिया गया है।
5. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या K-(i) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा No अंकित इसलिए किया गया है कि अभी तक उक्त प्रकरण की सक्षम स्वीकृति वन विभाग से प्राप्त नही हुई है।
6. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या L में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दी जाने वाली भूमि के संबंध में निवेदन है कि दिनांक 19.08.2015 को श्रीमान् कलेक्टर टोंक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिला वन अधिकारी टोंक एवं अधिशाषी अभियन्ता टोंक भी उपस्थित थें। बैठक में श्रीमान जिला कलैक्टर टोंक द्वारा आश्वस्त दिया गया था। कि भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जितनी भूमि की आवश्यकता होगी उतनी भूमि वन विभाग को प्रत्यावर्तन कर दी जावेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत जी.टी.शीट,KM file एवं DGPS मानचित्र में प्रस्तावित रोड का पुरा हिस्सा ही प्रस्तावित किया गया है।
8. प्रस्तावित सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति,वित्तीय स्वीकृति,एवं तकनीकी स्वीकृति की कॉपी संलग्न है एवं प्रस्तावित सड़क का खसरावार लम्बाई एवं चौड़ाई का विवरण वार चार्ट में दर्शा दिया गया है।

कृपया भूमि प्रत्यावर्तन की सक्षम स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करे।

भवदीय

अधिशाषी अभियन्ता
राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
खण्ड - टोंक

E:\All Leter (July-2015).doc